REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 10 | JULY - 2026

"डिजिटल स्टाम्प व्यवस्था (ई–स्टाम्प) का क्रेता–विक्रेता व्यवहार एवं आर्थिक प्रभाव : सतना जिले के संदर्भ में"

प्रिया सिंह[1] , डॉ. देवी प्रसाद तिवारी[2]
[1]शोधार्थी अर्थशास्त्र, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
[2]प्राचार्य एवं प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

सारांश –

डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत ई–स्टाम्प व्यवस्था ने स्टाम्प शुल्क के भुगतान एवं दस्तावेजों के निष्पादन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित तथा दक्ष बनाया है। इस व्यवस्था ने पारंपरिक स्टाम्प प्रणाली में व्याप्त जालसाजी, बिचौलियों की भूमिका एवं अनावश्यक विलंब जैसी समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य सतना जिले के संदर्भ में ई–स्टाम्प व्यवस्था का क्रेता–विक्रेता व्यवहार तथा उसके आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन द्वितीयक समंकों पर आधारित है, जिनका संकलन भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन, पंजीयन विभाग तथा प्रकाशित शोध साहित्य से किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ई–स्टाम्प प्रणाली ने लेन–देन की लागत एवं समय में कमी लाने, दस्तावेजों की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा राजस्व संग्रह की पारदर्शिता को सुदृढ़ करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। यद्यपि डिजिटल साक्षरता एवं तकनीकी अवसंरचना की सीमाएँ इसके व्यापक उपयोग में चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, फिर भी यह प्रणाली सुशासन एवं आर्थिक दक्षता की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हो रही है।

शब्द संकेत : ई–स्टाम्प, डिजिटल शासन, क्रेता–विक्रेता व्यवहार, आर्थिक प्रभाव, लेन–देन लागत, पारदर्शिता, सतना जिला।

प्रस्तावना –

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने विश्वभर में प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया है। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक–केंद्रित बनाने के उद्देश्य से अनेक डिजिटल सेवाओं का विकास किया गया है। इन्हीं सुधारों के अंतर्गत ई–स्टाम्प व्यवस्था (Electronic Stamping System) एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने पारंपरिक स्टाम्प पत्रों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी सुरक्षित एवं सत्यापन योग्य स्टाम्प प्रमाणपत्रों को स्थापित किया है। यह व्यवस्था न केवल राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाती है, बल्कि नागरिकों को सरल, त्वरित एवं विश्वसनीय सेवाएँ भी उपलब्ध कराती है।

पारंपरिक स्टाम्प व्यवस्था में नकली स्टाम्प पत्रों का प्रचलन, दस्तावेजों की सत्यता संबंधी विवाद, बिचौलियों की सक्रियता तथा समय एवं धन की अतिरिक्त लागत जैसी समस्याएँ लंबे समय तक बनी रहीं। इन समस्याओं के कारण सरकारी राजस्व की हानि के साथ–साथ नागरिकों का आर्थिक बोझ भी बढ़ता था।

ई–स्टाम्प प्रणाली ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। प्रत्येक ई–स्टाम्प प्रमाणपत्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाती है, जिससे उसकी ऑनलाइन सत्यता का तत्काल सत्यापन किया जा सकता है। इससे दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है तथा जालसाजी की संभावनाएँ न्यूनतम हो जाती हैं।

ई–स्टाम्प व्यवस्था को लेन–देन लागत (Transaction Cost) में कमी लाने वाले संस्थागत नवाचार के रूप में देखा जा सकता है। जब किसी आर्थिक लेन–देन में समय, धन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर होने वाला व्यय कम होता है, तब संसाधनों का अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग संभव होता है। ई–स्टाम्प व्यवस्था ने दस्तावेजों के निष्पादन, स्टाम्प शुल्क के भुगतान तथा सत्यापन की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर आर्थिक दक्षता में वृद्धि की है। इससे क्रेता एवं विक्रेता दोनों के लिए लेन–देन अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं सुविधाजनक हुआ है।

मध्यप्रदेश में ई–स्टाम्प व्यवस्था का विस्तार भूमि एवं संपत्ति के पंजीयन, बैंकिंग, बीमा, न्यायिक एवं व्यावसायिक अनुबंधों सहित अनेक क्षेत्रों में हुआ है। सतना जिला, जो मध्यप्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं शहरी विकासशील क्षेत्र है, वहाँ संपत्ति क्रय–विक्रय एवं व्यावसायिक गतिविधियों में ई–स्टाम्प का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप दस्तावेजों की विश्वसनीयता, राजस्व संग्रह की दक्षता तथा प्रशासनिक पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार ने औपचारिक अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन प्रदान किया है।

क्रेता एवं विक्रेता के व्यवहार में भी ई–स्टाम्प व्यवस्था के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। जहाँ पूर्व में स्टाम्प पत्रों की उपलब्धता, सत्यता एवं समयबद्धता संबंधी अनेक कठिनाइयाँ थीं, वहीं वर्तमान में ऑनलाइन अथवा अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से ई–स्टाम्प प्राप्त करना अपेक्षाकृत सरल हो गया है। इससे लेन–देन में अनिश्चितता कम हुई है तथा संपत्ति संबंधी अनुबंधों के निष्पादन में विश्वास एवं पारदर्शिता का स्तर बढ़ा है। परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों की गति एवं गुणवत्ता दोनों में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं।

यद्यपि ई–स्टाम्प व्यवस्था के अनेक लाभ हैं, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का अभाव, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, तकनीकी अवसंरचना की सीमाएँ तथा नागरिकों में जागरूकता की कमी इसके सार्वभौमिक उपयोग में बाधक हैं। अनेक छोटे विक्रेता एवं उपभोक्ता अभी भी डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने में संकोच अनुभव करते हैं। इसलिए ई–स्टाम्प व्यवस्था की सफलता केवल तकनीकी उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि नागरिकों की डिजिटल क्षमता, संस्थागत सहयोग तथा प्रभावी प्रशासनिक निगरानी पर भी आधारित है।

प्रस्तुत अध्ययन सतना जिले के विशेष संदर्भ में ई–स्टाम्प व्यवस्था के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि इस प्रणाली ने क्रेता–विक्रेता व्यवहार, लेन–देन लागत, समय की बचत, दस्तावेजों की विश्वसनीयता तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को किस सीमा तक प्रभावित किया है। साथ ही अध्ययन नीति–निर्माताओं एवं प्रशासन के लिए ऐसे सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिनके माध्यम से ई–स्टाम्प व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाया जा सके। यह अध्ययन डिजिटल प्रशासन एवं आर्थिक सुधारों के मध्य संबंधों को समझने की दिशा में उपयोगी योगदान प्रदान करता है।

शोध का उद्देश्य –

डिजिटल प्रशासन के विस्तार के साथ ई–स्टाम्प व्यवस्था ने संपत्ति एवं अन्य विधिक लेन–देन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित तथा समयबद्ध बनाया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य सतना जिले के संदर्भ में ई–स्टाम्प व्यवस्था के क्रेता–विक्रेता व्यवहार एवं उसके आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि डिजिटल स्टाम्प प्रणाली ने लेन–देन लागत, आर्थिक दक्षता, पारदर्शिता तथा नागरिक सुविधा में किस प्रकार परिवर्तन किया है तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कौन–कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. सतना जिले में ई–स्टाम्प व्यवस्था के उपयोग एवं क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. ई–स्टाम्प व्यवस्था का क्रेता–विक्रेता व्यवहार, लेन–देन लागत एवं आर्थिक दक्षता पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना।

3. ई–स्टाम्प प्रणाली के प्रभावी संचालन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन कर व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक समंकों का उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के सतना जिले का चयन किया गया है। अध्ययन हेतु कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण एवं सुविधानुसार निदर्शन पद्धति से किया गया है, जिनमें संपत्ति क्रेता, विक्रेता, दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता तथा ई–स्टाम्प सेवाओं का उपयोग करने वाले नागरिक सम्मिलित किये गये हैं। प्राथमिक समंकों का संकलन पूर्व–निर्मित एवं संरचित प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क द्वारा किया गया है। प्रश्नावली में ई–स्टाम्प व्यवस्था के उपयोग, समय की बचत, लेन–देन लागत, पारदर्शिता, सुरक्षा, डिजिटल भुगतान तथा समग्र संतुष्टि से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किये गये हैं। संकलित समंकों का संपादन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण करने के उपरांत उनका प्रतिशत विधि द्वारा विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मकएवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है, जिससे उत्तरदाताओं की धारणाओं एवं अनुभवों के आधार पर ई–स्टाम्प व्यवस्था के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके।

विश्लेषण –

प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त अभिमतों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि ई–स्टाम्प व्यवस्था ने संपत्ति एवं अन्य विधिक लेन–देन की प्रक्रिया को पहले की अपेक्षा अधिक सरल, पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाया है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मत था कि ई–स्टाम्प के उपयोग से स्टाम्प प्राप्त करने में लगने वाला समय कम हुआ है तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनी है। पूर्व में पारंपरिक स्टाम्प प्रणाली के अंतर्गत उपलब्धता, सत्यता तथा बिचौलियों पर निर्भरता जैसी समस्याएँ प्रचलित थीं, जिनमें ई–स्टाम्प व्यवस्था के कारण उल्लेखनीय कमी आई है। सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि डिजिटल माध्यम से स्टाम्प शुल्क का भुगतान होने के कारण भुगतान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक एवं पारदर्शी हुई है। इससे नकद भुगतान पर निर्भरता कम हुई तथा लेन–देन का डिजिटल अभिलेख सुरक्षित रूप से उपलब्ध रहने लगा। उत्तरदाताओं का यह भी मत था कि ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा के कारण दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर विश्वास बढ़ा है, जिससे संपत्ति संबंधी विवादों की संभावना कम होती है। आर्थिक दृष्टि से उत्तरदाताओं ने यह अनुभव व्यक्त किया कि ई–स्टाम्प व्यवस्था ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की लागतों में कमी की है। कार्यालयों के बार–बार चक्कर लगाने की आवश्यकता घटने से समय एवं परिवहन व्यय में कमी आई है। इसके अतिरिक्त दस्तावेजों के शीघ्र निष्पादन से आर्थिक गतिविधियों की गति में भी वृद्धि हुई है। व्यापारिक एवं संपत्ति संबंधी लेन–देन अधिक व्यवस्थित एवं समयबद्ध होने के कारण निवेशकों तथा सामान्य नागरिकों दोनों का विश्वास बढ़ा है।

यद्यपि अधिकांश उत्तरदाता ई–स्टाम्प व्यवस्था से संतुष्ट पाए गए, फिर भी कुछ उत्तरदाताओं ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, सर्वर संबंधी समस्याओं तथा डिजिटल साक्षरता के अभाव को प्रमुख चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के उत्तरदाताओं ने तकनीकी सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता व्यक्त की। समग्र रूप से प्राथमिक समंक यह संकेत देते हैं कि ई–स्टाम्प व्यवस्था ने क्रेता–विक्रेता व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए आर्थिक दक्षता, पारदर्शिता एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किया है। इस प्रकार प्राथमिक समंकों के आधार पर ई–स्टाम्प व्यवस्था का प्रमुख आर्थिक प्रभाव के संबंध में सारणी क्रमांक–01 में प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है –

सारणी क्रमांक–01

सतना जिले में ई–स्टाम्प व्यवस्था का प्रमुख आर्थिक प्रभाव संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	लेन–देन में समय की बचत	108	36.00
2	पारदर्शिता एवं सुरक्षा में वृद्धि	81	27.00
3	दस्तावेजों का त्वरित सत्यापन	63	21.00
4	लागत एवं बिचौलियों पर निर्भरता में कमी	48	16.00
कुल योग		300	100.00

स्रोत– प्राथमिक समंक पर आधारित।

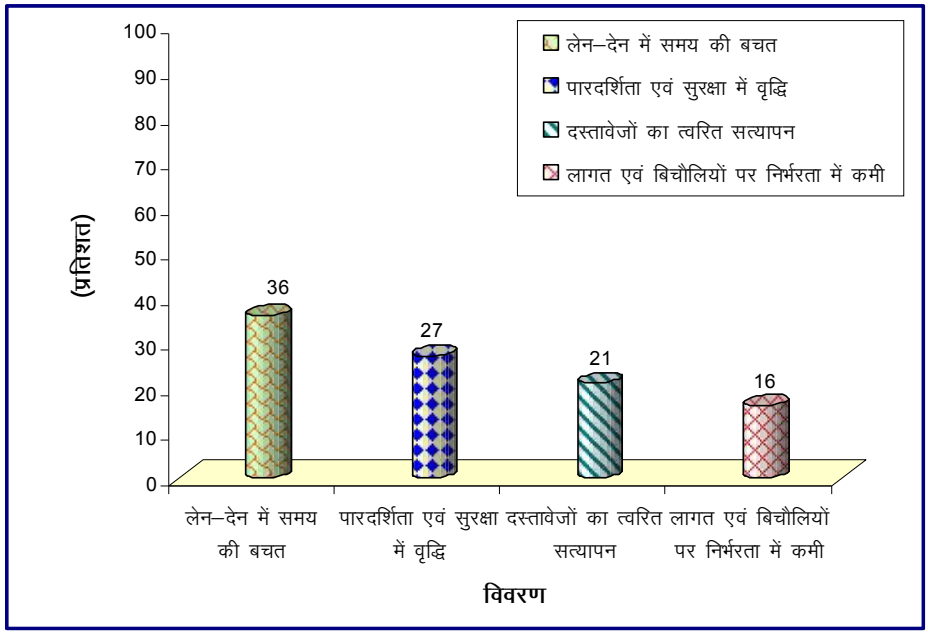

आरेख क्र.–01 : सतना जिले में ई–स्टाम्प व्यवस्था का प्रमुख आर्थिक प्रभाव

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र से चयनित कुल 300 उत्तरदाताओं में से 108 (36.00%) उत्तरदाताओं ने ई–स्टाम्प व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ लेन–देन में समय की बचत को माना है। इसी प्रकार 81 (27.00%) उत्तरदाताओं के अनुसार इस व्यवस्था से पारदर्शिता एवं दस्तावेजीय सुरक्षा में वृद्धि हुई है। 63 (21.00%) उत्तरदाताओं ने त्वरित सत्यापन को प्रमुख लाभ बताया है, जिससे संपत्ति एवं अन्य विधिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। वहीं 48 (16.00%) उत्तरदाताओं का मत है कि ई–स्टाम्प व्यवस्था ने बिचौलियों पर निर्भरता एवं लेन–देन लागत को कम किया है। समग्रतः परिणाम संकेत करते हैं कि उत्तरदाताओं की दृष्टि में ई–स्टाम्प व्यवस्था ने आर्थिक दक्षता, समय प्रबंधन, पारदर्शिता तथा सुरक्षित लेन–देन को प्रोत्साहित किया है, जिससे डिजिटल प्रशासन के प्रति नागरिकों का विश्वास भी सुदृढ़ हुआ है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डिजिटल स्टाम्प व्यवस्था (ई–स्टाम्प) ने क्रेता–विक्रेता के आर्थिक व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन कियै हैं। ई–स्टाम्प प्रणाली के माध्यम से लेन–देन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं समयबद्ध हुई है, जिससे दस्तावेजों की विश्वसनीयता में वृद्धि तथा जालसाजी की संभावनाओं में कमी आई है। अध्ययन में प्राप्त प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों से यह भी स्पष्ट हुआ कि ई–स्टाम्प व्यवस्था ने

लेन–देन की लागत को कम करने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने तथा सरकारी राजस्व संग्रह को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा तकनीकी अवसंरचना जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, फिर भी समग्र रूप से यह व्यवस्था डिजिटल सुशासन एवं आर्थिक आधुनिकीकरण की दिशा में एक प्रभावी सुधार सिद्ध हुई है। अतः आवश्यक है कि ई–स्टाम्प प्रणाली के प्रति जन–जागरूकता, तकनीकी प्रशिक्षण तथा डिजिटल अवसंरचना को और सुदृढ़ किया जाए, जिससे इसके लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँच सके।

संदर्भ सूची –

1. भारत सरकार. (2024). डिजिटल इंडिया कार्यक्रम : वार्षिक प्रतिवेदन, 2023–24. नई दिल्लीः इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार।
2. मध्यप्रदेश शासन. (2024). वाणिज्यिक कर एवं पंजीयन विभाग : वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, 2023–24. भोपालः वाणिज्यिक कर एवं पंजीयन विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
3. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. (2024). ई–स्टाम्पिंग प्रणाली : उपयोगकर्ता पुस्तिका एवं परिचालन दिशानिर्देश. मुंबईः स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)।
4. भारत सरकार. (2023). राष्ट्रीय ई–शासन योजना एवं डिजिटल प्रशासन. नई दिल्लीः इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार।
5. भारतीय रिजर्व बैंक. (2024). मुद्रा एवं वित्त पर प्रतिवेदन, 2023–24. मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक।
6. नीति आयोग. (2023). भारत का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र : नीतिगत परिप्रेक्ष्य. नई दिल्लीः नीति आयोग, भारत सरकार।
7. विश्व बैंक. (2022). भारत : डिजिटल विकास का समग्र परिदृश्य. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।